न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री जवाहर राम चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 335/2019(259/18)

GCMS No. : 2018/00129

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

वादीगण:

1. चम्पालाल पुत्र सुगनचन्द
2. भागीरथ पुत्र सुगनचन्द
3. रामेश्वर पुत्र सुगनचन्द
   जाति–ब्राहम्ण,
   निवासी–खेड़ारामगढ,
   तहसील–जैतारण जिला–पाली।

प्रतिवादीगण:

1. छैलाराम कुमावत पुत्र हापुराम जाति– कुमावत, निवासी– खेड़ा रामगढ़, तहसील– जैतारण जिला–पाली।
2. प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई बैंक, शाखा–जैतारण
3. प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा–जैतारण
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जैतारण जिला–पाली।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.28.09.2018**

उपस्थितः–

1. श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारियां, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण ।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 14/09/2020**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा– खेड़ारामगढ, पटवार हल्का–सांगावास, तहसील–जैतारण में वाके आराजी खसरा नंबर 1462 रकबा 15–15 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 1463 रकबा 18–01 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नंबर 1468 रकबा 18–17 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 1469 रकबा 1–09 बीघा किस्म गैर मु. बेरा, खसरा नंबर 1471 रकबा 19 बीघा किस्म चाही चारम आई हुई है। उपरोक्त नम्बरान की भूमि में वादीगण का 1/4, 1/4, 1/4 हिस्सा है। उक्त खसरे की भूमि में वादीगण माफिक हिस्सेनुसार भूमि पर रिकोर्डेड काबिज खातेदार है व प्रतिवादीगण इसी खसरे की भूमि में सह खातेदार काश्तकार है व वादीगण का अपने हिस्से पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है। मगर वादीगण व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के रूप में शामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेस में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शायी गई है मौके के कब्जे व काश्त अनुसार अलग–अलग तरमीम की हुई नहीं है। विवादित कृषि भूमि खसरा नंबर 1462 रकबा 15–15 बीघा किस्म बारानी अव्वल खसरा नंबर 1463 रकबा 18–01 बीघा किस्म चाही चारम खसरा नंबर 1468 रकबा 18–17 बीघा किस्म बारानी अव्वल खसरा नंबर 1469 रकबा 1–09 बीघा किस्म गैर मु. बे[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Choudhary
Date: 2020.10.29 16:44:55
Reason: SelfAttested

नम्बर 1471 रकबा 19 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 एवं उनके हाली एजेन्ट चौकर चाकर आदि जबरदस्ती बलपूर्वक वादीगण की कब्जे काश्त व हिस्से की भूमि पर दखलांदाजी करने व भूमि को खुर्द बुर्द करने व बैचान करने पर आमादा है जबकि उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में शामलाति दर्ज है प्रतिवादी संख्या 01 बिना मिण्ट्स एण्ड बाउण्डस के तकास्मा आराजी करवाकर भूमि अजनबी क्रेता को बैचान करने पर आमादा है। राजस्व रेकर्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त भूमि के सह काश्तकार हैं, उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती इन्द्राज है परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 बिना बंटवाड़ा करवाये उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 को बंटवाड़ा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम रखने का तकास्मा करवाने को कहा मगर प्रतिवादी संख्या 01 की नियत सही नहीं होने से उन्होने बंटवाड़ा करवाने से दिनांक 18.09.2018 को साफ मना कर दिया, तथा विवादित भूमि को बिना बंटवाड़ा करवाये बैचान, मुन्तकिल व बेदखल करने की एलानिया धमकी दी, जबकि प्रतिवादी संख्या 01 को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है वादीगण अपनी भूमि का बाई मिण्ट्स एण्ड बाउण्टस के तकास्मा करवाने का अधिकारी है इसलिए दावा तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। तकास्मा आराजी वादीगण अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की विवादित भूमि का उपयोग उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है व प्रतिवादी संख्या 01 को वादीगण के हक हिस्से व कब्जेकाश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलांदाजी बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को बार–बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेंगे, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है ना ही वादीगण को होने वाली क्षति का मूल्यांकन रूपयों/पैसों में आंका जा सकता है इसलिए वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि सामालाती इन्द्राज होने के कारण अगर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बिना बंटवाड़ा करवाये उक्त भूमि पर रहन, बैचान किसी अजनबी क्रेता को कर दिया जाता है तो अजनबी क्रेता द्वारा मौके पर उपजाऊ भूमि पर अपना हक व अधिकार जतायेगा व वादीगण को उसके हक हिस्से की भूमि में प्रभावित करेगा। इस कारण जब तक उक्त भूमि का कानूनन बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं हो जाता तब तक प्रतिवादी संख्या 01 को उक्त भूमि रहन बैचान करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश है। उक्त भूमि में वादी संख्या 01 से 03 द्वारा बैंक में रहन रखकर उक्त कृषि भूमि पर ऋण ले रखा है। इस कारण उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 04 व 05 आवश्यक पक्षकार होने से उक्त वाद में बतौर प्रतिवादी सयोजित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 06 तहसीलदार जैतारण विवादित भूमि के लैण्ड होल्डर है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है व तकास्मा आराजी के वाद में आवश्यक पक्षकार होने के कारण उन्हें इस वाद में पक्षकार बनाया गया है उनके विरूद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। [illegible] दिनांक 18.09.2018 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को वादीगण [illegible] हि

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Choudhary
Date: 2020.10.29 16:44:55 IS
Reason: SelfAttested

को भूमि का बाई मिण्ट्स एण्ड बाउण्डस का कहने व प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा ऐसा करने से मना करने व वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने, बैचान करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम खेड़ारामगढ तहसील जैतारण में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकालातनामा पेश हुआ। प्रतिवादीगण संख्या 02 से 04 के बावजूद तामिली/ सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील प्रतिवादी संख्या 01 ने जवाब दावा पेश किया कि सरहद मौजा रामबढ पटवार हल्का सांगावास में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की राजस्व रेकर्ड में सामलाती खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 1462, 1463, 1468, 1471 व 1470 की स्थित है। उक्त भूमि में माफिक हिस्सेनुसार काश्त करते है परन्तु उक्त भूमि का हमारे पिता के जीवनकाल में हमारे नाम करवा दी तथा उक्त भूमि का वर्ष 1989 में मौके पर बंटवाड़ा होकर खेतों के बीच माठे कायम कर अपने अपने हिस्से में काश्त कर रहे है। उत्तरदाता प्रतिवादी भी मौके पर बंटवाड़ा अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम चाहता है। वाद में वर्णित खसरा की भूमि का वर्ष 1989 में माता जी की मौजूदगी में बंटवाड़ा कर दिया गया। उसी अनुसार पिछले 30 वर्षो से माफिक हिस्सेनुसार अपने अपने खेतों में काश्त करते है तथा मौके पर खेतों के बीच माठ भी कायम हे। जो उच्चाई में करीब 02 फीट व चौड़ाई में करीब 01 फीट हे। वादी के हिस्से में उत्तरदाता प्रतिवादी ने कभी भी न तो दखलंदाजी की, न ही खेतों की मेड़ को खुर्द बुर्द किया। प्रतिवादी ने कभी भी उक्त भूमि के कानूनी बंटवाड़ा बाबत मना नहीं किया। कानूनी बंटवाड़ा हेतु पहले भी तैयार था व आज भी तैयार है। उत्तरदाता प्रतिवादी अपने हिस्से की भूमि को अपने इच्छानुसार उपयोग उपभोग व बैचान हस्तान्तरण करने के लिए कोई कानूनी रोक नहीं है। जो राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों से भी स्पष्ट है। वाद में वर्णित भूमि खातेदारान की जमाबन्दी में सामलाती दर्ज है परन्तु मौके पर बंटवाड़ा पिछले 30 वर्षो से हो रखा है। वादीगण ने दिनांक 18.09.2018 या अन्य दिनांक को प्रतिवादी को बंटवाड़ा हेतु नहीं कहा। वाद में वर्णित कृषि भूमि चावण्डिया कलां से निमाज रोड़ तथा जैतारण से कुशालपुरा जाने वाली सड़क पर स्थित है। उक्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा उत्तरदाता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शेनुसार हो रखा है। जिसे अरसा 30 वर्ष हो रखा है। नजरी नक्शे में वादीगण के हिस्से में सड़के के पास की कीमति कृषि भूमि बंट में आई हुई है। वादी संख्या 01 व 02 की कृषि भूमि को लाल रंग से व वादी संख्या 03 की कृषि भूमि को हरे रंग से व प्रतिवादी संख्या 01 की कृषि भूमि को पीले रंग से दर्शाया है। जिसे भी स्पष्ट साबित हो रहा है कि वादीगण ने अपने मनमानी हिस्से की भूमि प्राप्त की है तथा उत्तरदाता प्रतिवादी की भूमि सड़क के पास की भूमि नहीं है। उत्तरदाता प्रतिवादी मौके पर नजरी नक्शे में बताये हिस्सेनुसार बंटवाड़ा के लिए सहमत है विकल्पेन कानूनी बंटवाड़ा यदि होता है तो उसके लिए भी तैयार है। प्रतिवादी ने वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ [illegible] शाखा निमाज से ऋण ले रखा है। जिसका चुकारा करना आवश्यक है इसलिए [illegible] हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2020.10.29 16:44:55 IST
Reason: SelfAttested

(फास्ट ट्रेक) जैतारण

को भूमि को बेचान करना चाहता है। जिसके लिए कोई कानूनी रोक नहीं है। प्रतिवादी की नियत सही है वादीगण की नियत में खोट है। जो कोडियों के भाव प्रतिवादी की भूमि को क्रय करना चाहता है, जबकि प्रतिवादी ने अपने भूमि में खाद बीज डालकर लाखों रूपये खर्च कर उपजाऊ बनाया पेड़ पौधे लगाये व अब वादीगण गलत व झूठे तथ्य अंकित कर वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया व टी.आई के प्रार्थना पत्र बैचान हस्तान्तरण कर स्थगन प्राप्त किया। जबकि वादीगण के हिस्से की भूमि से प्रतिवादी ने न तो कभी दखलन्दाजी की न ही बेदखल करने की धमकी दी। प्रतिवादी बंटवाड़े के लिए तैयार व तत्पर है। जिससे खातेदारान के बीच प्रेमभाव रहे व आने वाली पीढीयों के बीच वैमनस्यता पैदा नहीं हो। इसलिए प्रतिवादी भी बंटवाड़ा चाहता है तथा यह कानून में कही रोक नहीं है कि वो अपने हिस्से की भूमि का बैचान, हस्तान्तरण नहीं कर सके। वादीगण उक्त भूमि में अपनी मनचाही व सड़के के पास की कीमति भूमि पर काबिज है। इससे वादीगण के कोई हक व अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे है। बल्कि सभी कोण से प्रतिवादी के हक व अधिकार प्रभावित हो रहे है। इसलिए वादीगण प्रतिवादी से कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है।

वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने सहमति से जाहिर किया कि उक्त प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रेकर्ड के हिस्से अनुसार प्रकरण प्राथमिक डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की है।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात यथा जमाबन्दी का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी 2072–2075 का गहनता से अध्ययन किया गया, जिसमें वादीगण चम्पालाल का 1/4, भागीरथ एवं प्रतिवादी जीवराज का 1/4 – 1/4 तथा वादी रामेश्वर का 1/4 हिस्सा दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 अपने अपने हिस्से की आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा चाहते हैं। चूंकि खसरा नं. 1469 रकबा 1–09 बीघा, किस्म गै.मु. बेरा है। जिनका नियमानुसार विभाजन नही हो सकता हैं। शेष खसरा नम्बर खसरा नंबर 1462 रकबा 15–15 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 1463 रकबा 18–01 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नंबर 1468 रकबा 18–17 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 1471 रकबा 19 बीघा किस्म चाही चारम के सम्पूर्ण हिस्से में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के अपने–अपने हिस्से माफिक भूमि का राजस्व रेकर्ड के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा किये जाने की प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के दिनाँक 24.10.2019 को इस आशय की सादिर की गई थी कि सरहद मौजा– खेड़ारामगढ, पटवार हल्का–सांगावास, तहसील–जैतारण में वाके आराजी खसरा नंबर 1462 रकबा 15–15 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 1463 रकबा 18–01 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नंबर 1468 रकबा 18–17 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 1471 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2020.10.29 16:44:55 IST
Reason: SelfAttested

(फास्ट ट्रैक) जैतारण

19 बीघा किस्म चाही चारम आई हुई है, जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डरा करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2019/921 दिनांक 15/11/2019 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने पत्र क्रमांक/भू0अ0/2020/2629 दिनांक 13/08/2020 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील उभयपक्ष ने माफिक बंटवाड़ा/विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं डिक्री की पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा हम माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद विरुद्ध डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा– खेड़ारामगढ, पटवार हल्का–सांगावास, तहसील–जैतारण जिला–पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 1462, रकबा 15–15 बीघा, किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 1463, रकबा 18–01 बीघा, किस्म चाही चारम, खसरा नंबर 1468, रकबा 18–17 बीघा, किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 1471, रकबा 19 बीघा, किस्म चाही चारम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रुप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1.	**चम्पालाल पुत्र सुगनचन्द कौम–ब्राहम्ण, सा देह खातेदार M.N. 274, दि.–14.06.2020 चम्पालाल पुत्र सुगनचन्द का BOB शाखा जैतारण के नाम रहन दर्ज।**	1463/01	8-10	चाही चारम	15.90
		1468/01	9-08	बारानी अव्वल	05.83
	योग	**02**	**17-18**		**21.73**
2	**भागीरथ पुत्र सुगनचन्द कौम–ब्राहम्ण, सा0देह खातेदार।**	1463	8-09	चाही चारम	15.80
		1468	9-09	बारानी अव्वल	05.88
	योग	**02**	**17-18**		**21.86**
3.	**छैलाराम कुमावत पुत्र हापुराम जाति– कुमावत, निवासी– खेड़ा**	1463/02	0-11	चाही चारम	1-02
		1462	2-19	बारानी अव्वल	1-83

(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Choudhary
Date: 2020.10.29 16:44:55 IS
Reason: SelfAttested

	रामगढ़, तहसील– जैतारण जिला– पाली।	1462/02	4-18	बारानी अव्वल	3-03
		1471	9-10	चाही चारम	17-77
	योग	**04**	**17-18**		**23-65**
4.	**रामेश्वर पुत्र सुगनचन्द कौम–ब्राहम्ण, सा0देह खातेदार। रहन– रामेश्वर पुत्र सुगनचन्द का ही ICICI शाखा जतारण के रहन दर्ज।**	1463/03	0-11	चाही चारम	0.71
		1462/01	3-00	बारानी अव्वल	1.86
		1462/03	4-18	बारानी अव्वल	3.03
		1471/01	9-10	चाही चारम	17.77
	योग	**04**	**17-19**		**23.68**

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक **14/09/2020** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2020.10.29 16:44:55 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक) मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री जवाहर राम चौधरी आर0ए0एस0

वादी :- **बनाम** **प्रतिवादीगण :-**

1. चम्पालाल पुत्र सुगनचन्द
2. भागीरथ पुत्र सुगनचन्द
3. रामेश्वर पुत्र सुगनचन्द
जाति-ब्राहम्ण,
निवासी-खेड़ारामगढ,
तहसील-जैतारण जिला-पाली।

1. छैलाराम कुमावत पुत्र हापुराम कुमावत जाति- कुमावत, निवासी- खेड़ा रामगढ़, तहसील- जैतारण, जिला- पाली।
2. प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई बैंक, शाखा-जैतारण
3. प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा-जैतारण
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जैतारण जिला-पाली।

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु0न0 :रा0वा0 स0: 335/2019 (259-2018)

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री ओमप्रकाश पंचारियां अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजस्व मौजा- खेड़ारामगढ, पटवार हल्का-सांगावास, तहसील-जैतारण जिला-पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 1462, रकबा 15-15 बीघा, किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 1463, रकबा 18-01 बीघा, किस्म चाही चारम, खसरा नंबर 1468, रकबा 18-17 बीघा, किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 1471, रकबा 19 बीघा, किस्म चाही चारम की भूमि का बँट्वाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1.	**चम्पालाल पुत्र सुगनचन्द कौम-ब्राहम्ण, सा देह खातेदार M.N. 274 दि. 14.06.2020 चम्पालाल पुत्र सुगनचन्द का BOB शाखा जैतारण के नाम रहन दर्ज।**	1463/01	8-10	चाही चारम	15.90
		1468/01	9-08	बारानी अव्वल	05.83
	योग	**02**	**17-18**		**21.73**
2	**भागीरथ पुत्र सुगनचन्द कौम-ब्राहम्ण, सा0देह खातेदार।**	1463	8-09	चाही चारम	15.80
		1468	9-09	बारानी अव्वल	05.88
	योग	**02**	**17-18**		**21.86**
3.	**छैलाराम कुमावत पुत्र हापुराम जाति- कुमावत, निवासी- खेड़ा रामगढ़, तहसील- जैतारण जिला- पाली।**	1463/02	0-11	चाही चारम	1-02
		1462	2-19	बारानी अव्वल	1-83
		1462/02	4-18	बारानी अ[illegible]	[illegible]-03
		1471	9-10	[illegible]	[illegible]7

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2020.10.29 16:44:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण

				चारम	
	योग	04	17-18		23-65
4.	रामेश्वर पुत्र सुगनचन्द कौम–ब्राहम्ण, सा0देह खातेदार। रहन– रामेश्वर पुत्र सुगनचन्द का ही ICICI शाखा जतारण के रहन दर्ज।	1463/03	0-11	चाही चारम	0.71
		1462/01	3-00	बारानी अव्वल	
		1462/03	4-18	बारानी अव्वल	
		1471/01	9-10	चाही चारम	
	योग	04	17-19		23.68

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.... ..फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 14/09/2020 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला–पाली)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03-00	स्टाम्प वकालतनामा	02-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	/
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	03-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः-	07-00	मिजानः-	02-00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2020.10.29 16:44:55 IST
Reason: SelfAttested